



**महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय**  
**Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya**  
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)  
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)  
नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

**कादर नवाज़ ख़ान**  
कार्यकारी कुलसचिव  
**Kadar Nawaz Khan**  
Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902  
फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक : 003/वि.प.ग./326-04/2020  
दिनांक : 20.04.2020

**अधिसूचना**

विश्वविद्यालय अधिनियम के परिनियम 14 (1) (एफ) के प्रावधान के अनुसार डॉ.एच.ए.हुनगुंद, एसोशिएट प्रोफेसर को विद्या-परिषद का सदस्य नियुक्त किया जाता है।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

**कादर नवाज़**  
(कुलसचिव) 20/04/2020

प्रति :

डॉ. एच.ए.हुनगुंद  
एसोशिएट प्रोफेसर, भाषा विद्यापीठ  
म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय
2. विद्या-परिषद के सभी माननीय सदस्य
3. कार्य-परिषद के सभी माननीय सदस्य
4. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
5. निदेशक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग, नई दिल्ली
6. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह ज़फ़र, मार्ग, नई दिल्ली
7. विश्वविद्यालय के सभी विद्यापीठ/विभाग/केंद्र/अनुभाग
8. समन्वयक, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम
9. समन्वयक, स्नातक पाठ्यक्रम
10. प्रवेश प्रकोष्ठ
11. विश्वविद्यालय वेबसाइट
12. संबंधित पत्रावली

